माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–09.10.2026 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में अपर समाहर्त्ताओं की राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

1. प्रारंभिक परिचय एवं स्वागत :–

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–09.10.2026 को सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में राज्यस्तरीय अपर समाहर्त्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी अपर समाहर्त्ता और विभागीय वरीय पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक की शुरुआत में सचिव द्वारा माननीय विभागीय मंत्री का स्वागत किया गया एवं समीक्षोपरांत माननीय विभागीय मंत्री तथा सचिव द्वारा निम्न निदेश दिये गये :–

2. विभागीय प्राथमिकताएँ एवं निर्देश :–

- बैठक में उपस्थित सभी अपर समाहर्त्ताओं को निर्देश दिया गया कि ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि आम जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
- पूर्व में परिमार्जन / परिमार्जन प्लस / राजस्व महा–अभियान के माध्यम से जमाबंदी अद्यतनीकरण और शुद्धिकरण का कार्य विशेष अभियान चलाकर किया गया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जमाबंदी पंजी में सूचनाएँ अद्यतन या अपूर्ण हैं; अतः इन त्रुटियों का यथाशीघ्र निराकरण कराया जाए।
- जिन अंचल अधिकारियों द्वारा दाखिल–खारिज से संबंधित मामलों को बिना ठोस कारण बताए अस्वीकृत (Reject) कर दिया जाता है, उनकी रैंडम (Randomly) जाँच की जाए।
- अंचल कार्यालयों में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि आम जनता को कार्यालय के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें समझाया जाए कि वे केवल ऑनलाइन आवेदन करें।
- भूमि सर्वे की नियमित समीक्षा की जाए ताकि क्षेत्र में कार्यों को गति मिल सके और डिजिटल भू–अभिलेखों को सुचारू रूप से बेहतर बनाया जाए।
- सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की समीक्षा कर उसे हटवाया जाए तथा ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि उस जमीन पर दुबारा कोई कब्जा न कर सके।

● लैंडबैंक (Landbank) को पहले से अधिक सशक्त बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक सरकारी परियोजनाओं को चालू किया जा सके।

● राजस्व न्यायालयों में टाइम मैनेजमेंट (Time Management) पर जोर देते हुए किसी भी परिस्थिति में मामलों को लंबित न रखा जाए और नियमित रूप से न्यायालयों का संचालन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए।

● जो अंचल अधिकारी खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका औचक निरीक्षण करते हुए लिखित प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाए।

3. प्रशासनिक एवं कार्मिक मामले :–

● भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त राजस्व कर्मचारियों, अमीन और डेटा एंट्री ऑपरेटरों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए।

● जिन मामलों में अमीन और कर्मचारी का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है, उन केसों का यथाशीघ्र निष्पादित किया जाए।

● जो राजस्व कर्मचारी MACP / ACP की अर्हता पूरी कर चुके हैं, उनके MACP / ACP के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

● जिस राजस्व कर्मचारी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में हुआ है और एलपीसी (LPC) निर्गत नहीं की गई है, उनका दिनांक 12.10.2026 तक निश्चित रूप से LPC निर्गत किया जाए।

● राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल अवधि के दौरान वे कार्य जो उनके अनुपस्थिति में संपन्न हो सकते हैं, उन्हें पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए गए :–

1. कोर्ट केस के सभी लंबित मामलों का निष्पादन शीघ्रता से किया जाए।
2. राजस्व कर्मचारियों के स्थापना संबंधी मामलों का निष्पादन किया जाए।
3. कार्यालय का निरीक्षण किया जाए।
4. AC / DC बिल के समायोजन की कार्रवाई शीघ्रता से की जाय।
5. जो नकल निर्गत करनी है, उन्हें डिजिटाइज्ड रूप से निर्गत किया जाए तथा अनस्कैन्ड (Unscanned) राजस्व अभिलेख को स्कैन (Scan) करके नकल उपलब्ध कराया जाए।
6. आपत्ति के जितने मामले हैं, उनकी सुनवाई अंचल अधिकारी करेंगे।
7. अंचलवार विकास मित्रों की बैठक आयोजित करके अभियान बसेरा के आवेदन का फॉर्मेट उपलब्ध कराया जाए।

8. अभियान बसेरा से संबंधित प्रिंट फॉर्म विकास मित्रों के माध्यम से लाभुकों को दिया जाएगा.

9. एक सप्ताह के भीतर अपर समाहर्त्ता कार्यालय और भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय में टेंपररी कंप्यूटर ऑपरेटर रखना सुनिश्चित किया जाए।

10. Virtual Court कोर्ट एवं राजस्व भवन के निर्माण हेतु अपर समाहर्त्ता जमीन चिन्हित कर उसका प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर विभाग को भेजें।

11. लंबित विधायी कार्य एवं कोर्ट में शपथ पत्र दायर करने से संबंधित कार्यों को पूरा किया जाए.।

4. **ई–मापी (E-Map)**

● पूरे राज्य में 70 हजार से अधिक ई–मापी के मामले लंबित पाए गए, जिसे लेकर इन्हें सर्वे अमीनों के माध्यम से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

5. **लॉक/अनलॉक जमाबंदी–**

● लॉक जमाबंदी की समीक्षा कर पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही उसे अनलॉक करने की कार्रवाई की जाए।

● समीक्षा के क्रम में यदि यह पाया जाता है कि कोई लॉक जमाबंदी सरकारी भूमि से संबंधित है और रैयत के नाम से जमाबंदी कायम है, तो जमाबंदी रद्दीकरण हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाए।

6. **अभियान–बसेरा–**

● अभियान बसेरा के प्रथम चरण में कई आवेदकों द्वारा बिना आवेदन फॉर्मेट के ही ऑफलाइन आवेदन दिए गए हैं, जिन्हें अब ऑनलाइन किया जाना हैं।

● माननीय विभागीय मंत्री द्वारा निर्देश दिया गया कि अभियान बसेरा के आवेदन का फॉर्मेट विभाग से सभी जिलों को 10–10 प्रति मुद्रित कराकर उपलब्ध कराया जाए।

● जब आवेदक द्वारा आवेदन भरकर जमा किया जाएगा, तब उसकी ऑनलाइन एंट्री की जाएगी।

● अपर समाहर्त्ता सभी अंचलों में, अंचल की आवश्यकतानुसार डेढ़ गुना आवेदन प्रपत्र वितरित करायेगें। आवेदक विकास मित्र को आवेदन भर को देंगे, विकास मित्र द्वारा भरे हुए आवेदनों को अंचल कार्यालय में ऑनलाइन इन्ट्री करायी जायेगी।

दिनांक–20.11.2026 को राजस्व सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उसी तिथि को अथव उसके बाद की तिथि में अभियान बसेरा के लाभूकों को बन्दोबस्ती पर्चा जन प्रतिनिधियों यथा–माननीय सांसद, माननीय विधायक एवं पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरित की जाय।

7. **राजस्व महा–अभियान (जमाबंदी अद्यतनीकरण एवं उत्तराधिकार नामांतरण)–**

● विशेष अभियान के तहत मूल जमाबंदी से भिन्न रैयत का नाम, पिता का नाम, खाता/खेसरा, रकवा, लगान आदि अंकित हो जाने या कई जमाबंदियों में सूचनाएं मिसिंग होने जैसी त्रुटियों को दूर करने के लिए दिनांक 15.09.2026 से 31.10.2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

● इससे संबंधित सभी कार्यों को निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

8. **<u>वर्चुअल कोर्ट (Virtual Court)</u>–**

● मुख्यालय स्तर से वर्चुअल कोर्ट की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई के समय वीडियो और माइक को ऑफ रखा जा रहा है, जो कि एक गंभीर मामला है।

● वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई के दौरान वीडियो और माइक हमेशा ऑन रखे जाने चाहिए। साक्ष्य और अभिलेख ऑनलाइन ही अपलोड किए जाने चाहिए। कोर्ट रूम का परिदृश्य साफ–सुथरा एवं गरिमामय होना चाहिए तथा निर्धारित समय पर ही सुनवाई प्रारंभ की जानी चाहिए।

9. **<u>दाखिल–खारिज (Mutation)</u>** –

● दाखिल–खारिज हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में गलत सूचना देने वाले आवेदकों के विरुद्ध संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा नोटिस निर्गत की गई है या नहीं, इसकी भी समीक्षा किए जाने का निदेश उपस्थित पदाधिकारियों को दिया गया।

अंत में, धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)
28/10/26
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक– 10 / सम0 / (अपर समाहर्त्ता बैठक)–38 / 2026..1397..(10) / रा0, दिनांक–29/10/26

E-mail

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / सभी समाहर्त्ता, बिहार / सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.10.26

(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक– 10 / सम0 / (अपर समाहर्त्ता बैठक)–38 / 2026..1397..(10) / रा0, दिनांक–..29/10/26

प्रतिलिपि–निदेशक, तीनों निदेशालय / सभी अपर सचिव / संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी अवर सचिव / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी / आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.10.26

(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक–10 / सम0 / (अपर समाहर्त्ता बैठक)–38 / 2026..1397.. (10) / रा0, दिनांक–..29/10/26

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव (विभागाध्यक्ष) के प्रधान आप्त सचिव / सचिव के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

29.10.26

(देवेश कुमार)
उप सचिव।